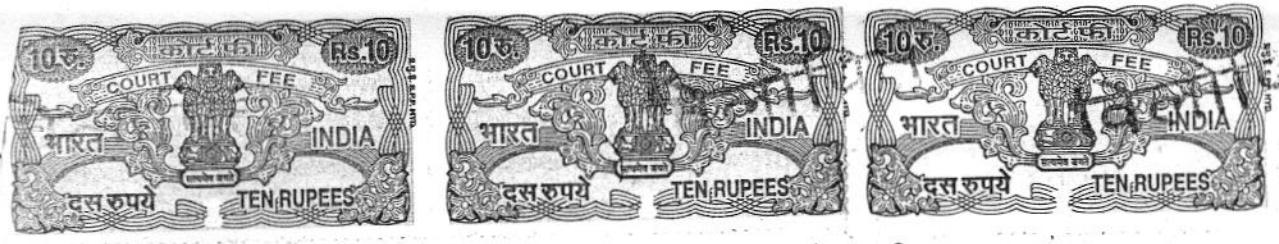

माननीय न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेशग्वालियरर

प्रकरण कमांक

सत्यप्रकाश उर्फ संजू पुत्र वुंदेलसिह यादव निवासी तायडे कॉलोनी अशोकनगर – आवेदक / निगरानीकर्ता

वनाम

.जगरामसिह उर्फ गजरामसिह पुत्र राजाराम यादव निवासी ग्राम विजयपुरा तह0 ईसागढ जिला अशोकनगर –अनावेदक / प्रतिनिगरानीकर्ता

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अशोकनगर के न्याालयीन प्रकरण कमांक 129 / अपील / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 11/10/17 के विरूद्ध मध्यप्रदेशभू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रथम पुनरीक्षण आवेदन पत्र ।

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी आवेदनपत्र सादर निम्नप्रकार प्रस्तुत है –

1. यहकि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अशोकनगर का अपने न्यायालयीन प्रकरण कमांक 129 अपील / 16–17 में पारित आदेश विधी विधान व राजस्व प्रकिया के विपरीत अनियति अनुचित गैरकानूनी होने से प्रथम दृष्टया निरस्ती काविल है ।

2. यहकि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, अशोकनगर के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 68अ6–14–15 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील संहिता की धारा 35:4: के तहत प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 129अपील / 16–17 दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत कर प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता प्रथम निगरानी आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश वोलता हुआ आदेश न होने के कारण निरस्ती काविल है ।

3. यहकि अधीनस्थ न्यायालय में जव अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गई तो प्रकरण पूर्ववत स्थिति में प्रारंभ होना था तथा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में जो साक्ष्य रिकार्ड की गई वह संपूर्ण साक्ष्य पुनः उसकी मौजूदगी में होना चाहिये तथा उसे कूटपरीक्षण का अवसर प्राप्त होना चाहिये किंतु अधीनस्थ न्यायालय का आदेश इस विंदु पर मोन है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दूषित होने के कारण प्रकरण की विदमान परिस्थितियों में वोलता हुआ आदेश न होने के कारण निरस्ती काविल है ।

4. यहकि निगरानीकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्याालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अशोकनगर के निगरानी अधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदनपत्र दिनांक 17.10.17 को प्रस्तुत कर दिया है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ती में समय लगने की संभावना है इस कारण निगरानीकर्ता यह निगरानी आवेदन विना प्रमाणित प्रतिलिपि के मय शपथ पत्र के प्रस्तुत कर रहा है तथा निगरानी आवेदन के साथ नकल प्रस्तुती हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर काटी गई रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत कर रहा है इसलिये विना प्रमाणित प्रतिलिपि के यह निगरानी आवेदनपत्र स्वीकार काविल है तथा निगरानी अधीन आदेश के पालन में निम्न न्यायालय में दिन प्रतिदिन सुनवाई के संवंध में अपीलीय न्यायालय ने निर्देश दिये है यदि दिन प्रतिदिन सुनवाई प्रारंभ हो गई तो निगरानी व्यर्थ हो जावेगी तथा निगरानीकर्ता न्याय से

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / निगरानी / अ0 नगर / भूरा / 2017 / 3982

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 14 –01–19 | आवेदक अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रकरण इस न्यायालय में अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर के प्रकरण कमांक 129 / अपील / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 11.10.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।<br>2– आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार करने एवं म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.9.2018 के हुये संशेधन अनुसार अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 11.10.17 के विरूद्व सीधे राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई योग्य नहीं रही है। अपितु संशेधन की संहिता की धारा 54 (क) सहपठित धारा 50 (1) (ग) के अनुसार कलेक्टर जिला अशोक नगर के समक्ष सुनवाई योग्य है। तदनुसार प्रकरण कलेक्टर जिला अशोक नगर की ओर निराकरण हेतु हस्तांतरित किया जाता है।<br>पक्षकार दिनांक 9.3.19 को कलेक्टर अशोक नगर के समक्ष उपस्थित रहे।<br>सदस्य<br>कलेक्टर अशोकनगर | |